

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च 2021—फाल्गुन 21, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2021

क्र. 3924-140-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11 मार्च, 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०२१

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) अधिनियम, २०२१

["दिनांक ११ मार्च, २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई. अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १२ मार्च, २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) अधिनियम, २०२१ है.

वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,३७,५७,५६,०३,६३३ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये तेरह हजार सात सौ सत्तावन करोड़ छप्पन लाख तीन हजार छः सौ तैंतीस मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

| (१) अनुदान का संख्यांक | (२) सेवायें और प्रयोजन | (३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | | विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये | संचित निधि पर भारत रुपये | योग रुपये | |
| | भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा | राजस्व | ० | ५,४९,१०,००,००० | ५,४९,१०,००,००० |
| ००२. | सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय. | राजस्व | ३८,१२,००,००० | ० | ३८,१२,००,००० |
| ००३. | पुलिस | राजस्व | ३०,००,००,००० | ० | ३०,००,००,००० |
| ००७. | वाणिज्यिक कर | राजस्व | ४,९७,१८,००० | ० | ४,९७,१८,००० |

| (१) | (२) | (३) | | | |
|------|---|--------|-----------------|-------|-----------------|
| | | रुपये | रुपये | रुपये | |
| ०१२. | ऊर्जा | राजस्व | ३५,६५,००,००,००० | ० | ३५,६५,००,००,००० |
| ०१३. | किसान कल्याण तथा कृषि विकास | राजस्व | २०,००,००,००,००० | ० | २०,००,००,००,००० |
| ०१४. | पशुपालन | राजस्व | २०,००,००,००० | ० | २०,००,००,००० |
| ०२२. | नगरीय विकास एवं आवास | राजस्व | १५,८२,३०,००,००० | ० | १५,८२,३०,००,००० |
| | | पूंजी | ७६,९८,००,००० | ० | ७६,९८,००,००० |
| ०२३. | जल संसाधन | पूंजी | १,६०,००,००,००० | ० | १,६०,००,००,००० |
| ०२४. | लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल | पूंजी | २,५०,००,००,००० | ० | २,५०,००,००,००० |
| ०२६. | संस्कृति | राजस्व | ५,००,००,००० | ० | ५,००,००,००० |
| ०२७. | स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) | राजस्व | ६८,००,००,००० | ० | ६८,००,००,००० |
| ०३८. | आयुष | राजस्व | ४४,८२,०४,८३३ | ० | ४४,८२,०४,८३३ |
| ०४७. | तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार | राजस्व | ६,२०,००,००० | ० | ६,२०,००,००० |
| ०४८. | नर्मदा घाटी विकास | पूंजी | १९,३३,०२,००,००० | ० | १९,३३,०२,००,००० |
| ०५०. | उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण | पूंजी | ५,००,००,००० | ० | ५,००,००,००० |
| ०५३. | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | राजस्व | १९,३३,३३,९८,८०० | ० | १९,३३,३३,९८,८०० |

| (१) | (२) | (३) | | | |
|------|--|--------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | रुपये | रुपये | रुपये | |
| ०५८. | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय | राजस्व | ७,४०,००,००,००० | ० | ७,४०,००,००,००० |
| ०६४. | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | राजस्व | १,००,००,००,००० | ० | १,००,००,००,००० |
| ०६५. | विमानन | राजस्व | ३,५०,००,००० | ० | ३,५०,००,००० |
| ०६६. | पिछड़ा वर्ग कल्याण | राजस्व | १,५०,००,००,००० | ० | १,५०,००,००,००० |
| | योग : | राजस्व | १,०७,८३,४६,०३,६३३ | ५,४९,१०,००,००० | १,१३,३२,५६,०३,६३३ |
| | | पूंजी | २४,२५,००,००,००० | ० | २४,२५,००,००,००० |
| | वृहद-योग : | | १,३२,०८,४६,०३,६३३ | ५,४९,१०,००,००० | १,३७,५७,५६,०३,६३३ |

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2021

क्र. 3924-140-इक्कीस-अ(प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 2 OF 2021

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 2) ACT, 2021

[Received the assent of the Governor on the 11th March, 2021; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th March, 2021.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2020-2021.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-second year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2021.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. Thirteen thousand seven hundred fifty seven crore fifty six lakh three thousand six hundred thirty three towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2020-2021 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Issue of Rs. 1,37,57,56,03,633 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2020-21.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

Appropriation.

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

Amount in Rupees

| (1) Number of Vote | (2) Services and purposes | (3) Sums not exceeding | | Total | |
|--------------------------|--|---|--|----------------|----------------|
| | | Voted by the Legislative Assembly | Charged on the Consolidated Fund | | |
| | | Rs. | Rs. | Rs. | |
| | Charged Appropriation- Interest Payments and Servicing of Debt. | Revenue | 0 | 5,49,10,00,000 | 5,49,10,00,000 |
| 002. | Other expenditure pertaining to General Administration Department. | Revenue | 38,12,00,000 | 0 | 38,12,00,000 |
| 003. | Police | Revenue | 30,00,00,000 | 0 | 30,00,00,000 |

| (1) | (2) | (3) | | | |
|------|--|---------|-----------------|-----|-----------------|
| | | Rs. | Rs. | Rs. | |
| 007. | Commercial Tax | Revenue | 4,97,18,00,000 | 0 | 4,97,18,00,000 |
| 012. | Energy | Revenue | 35,65,00,00,000 | 0 | 35,65,00,00,000 |
| 013. | Farmer Welfare and Agriculture Development. | Revenue | 20,00,00,00,000 | 0 | 20,00,00,00,000 |
| 014. | Animal Husbandry | Revenue | 20,00,00,000 | 0 | 20,00,00,000 |
| 022. | Urban Development and Housing | Revenue | 15,82,30,00,000 | 0 | 15,82,30,00,000 |
| | | Capital | 76,98,00,000 | 0 | 76,98,00,000 |
| 023. | Water Resources Department | Capital | 1,60,00,00,000 | 0 | 1,60,00,00,000 |
| 024. | Public Works-Roads and Bridges | Capital | 2,50,00,00,000 | 0 | 2,50,00,00,000 |
| 026. | Culture | Revenue | 5,00,00,000 | 0 | 5,00,00,000 |
| 027. | School Education (Primary Education). | Revenue | 68,00,00,000 | 0 | 68,00,00,000 |
| 038. | Ayush | Revenue | 44,82,04,833 | 0 | 44,82,04,833 |
| 047. | Technical Education, Skill Development and Employment. | Revenue | 6,20,00,000 | 0 | 6,20,00,000 |
| 048. | Narmada Valley Development | Capital | 19,33,02,00,000 | 0 | 19,33,02,00,000 |
| 050. | Horticulture and Food Processing | Capital | 5,00,00,000 | 0 | 5,00,00,000 |

| (1) | (2) | (3) | | |
|-------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| | | Rs. | Rs. | Rs. |
| 053. | Financial assistance to Three Teir Panchayati Raj Institutions. | | | |
| | Revenue | 19,33,33,98.800 | 0 | 19,33,33,98,800 |
| 058. | Expendiure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity | | | |
| | Revenue | 7,40,00,00,000 | 0 | 7,40,00,00,000 |
| 064. | Financial assistance to Urban bodies. | | | |
| | Revenue | 1,00,00,00,000 | 0 | 1,00,00,00,000 |
| 065. | Aviation | | | |
| | Revenue | 3,50,00,000 | 0 | 3,50,00,000 |
| 066. | Welfare of Backward Classes | | | |
| | Revenue | 1,50,00,00,000 | 0 | 1,50,00,00,000 |
| Total | Revenue | 1,07,83,46,03.633 | 5,49,10,00,000 | 1,13,32,56,03.633 |
| | Capital | 24.25,00,00.000 | 0 | 24,25,00,00.000 |
| | Grand Total | 1,32,08,46,03.633 | 5,49,10,00,000 | 1.37,57,56,03.633 |